



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 03.10.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उर्ई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय (सीजेएम कोर्ट उर्ई) जनपद जालौन द्वारा 02 अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए 07-07 वर्ष का कारावास एवं 7,500-7,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण 1- रमनदीप सिंह उर्फ सन्नी पुत्र स्व० बृजेन्द्र सिंह निवासी पटेल नगर सेवक पार्क द्वारका थाना द्वारका नई दिल्ली हाल पता- स्टेशन रोड तुलसीनगर उर्ई जनपद जालौन 2- करुणेश शर्मा पुत्र स्व० वीरेन्द्र शर्मा निवासी ओल्ड अवधनगर जनपद सहारनपुर के विरुद्ध कोतवाली उर्ई पर मु०अ०सं० 2635/15 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली उर्ई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय (सीजेएम कोर्ट उर्ई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण रमनदीप एवं करुणेश उपरोक्त को दोषी पाते हुए 07-07 वर्ष का कारावास एवं 7,500-7,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



सुनील कुमार शर्मा
अभियोजन अधिकारी



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



कोर्ट मुहर्रिर उ०नि०
राजेन्द्र सिंह



कोर्ट पैरोकार
विजय राज

jalaunpolice

